उत्तराखण्ड पावर
कारपोरेशन लि०

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN NO: U40109UR2001SGC025867
e-mail: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक–5297 / अधि0निदे0(मा0सं0) / उपाकालि0 / दिनांकः– 21/11/2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा निदेशक मण्डल की दिनांक 01.05.2025 को सम्पन्न 123वीं बैठक में प्रस्ताव संख्या 123.13 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 की गढ़वाल परिक्षेत्र / कुमाऊँ परिक्षेत्र की सतर्कता इकाईयों हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल के माध्यम से हेतु 08–08 नग (03–03 महिला को सम्मिलित करते हुये) स्वयंसेवकों को निम्न नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्योजित करने हेतु अनुमोदन किया जाता है:–

क) कार्योजित स्वयंसेवकों का उपाकालि0 में कार्योजन किसी भी नियमित स्वीकृत पद के विरूद्व नहीं होगा।

ख) कार्योजित स्वयंसेवकों का परिचालिकीय नियन्त्रण अधिशासी अभियन्ता (सतर्कता), देहरादून के अधीन रहेगा।

ग) कार्योजित स्वयंसेवकों की उपाकालि0 में तैनाती की अवधि अधिकतम 11 माह की होगी तथा उन्हें किसी भी जनपद / स्थान पर सतर्कता टीम के साथ भेजा जा सकता है। तैनाती की अवधि पूर्ण होने के पश्चात दोनों ही सतर्कता इकाईयों में इनकी पुनः तैनाती हेतु स्वयंसेवकों के प्रदर्शन के आधार पर अधिशासी निदेशक(मा0सं0) / प्रबन्ध निदेशक की सहमति के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता (सतर्कता), देहरादून द्वारा पी0आर0डी0 को नवीन प्रस्ताव भेजा जायेगा।

घ) कार्योजित स्वयंसेवक की शिकायत की स्थिति में मानव संसाधन विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर उसे उसके मूल विभाग पी0आर0डी0 को वापिस कर दिया जायेगा।

ङ) किसी भी परिस्थिति में कार्योजित स्वयंसेवकों से सतर्कता इकाईयों (छापेमारी) के इतर किसी अन्य कार्यालय में कार्य नहीं लिया जायेगा, न तैनाती की जायेगी। समय–समय पर इसका अनुश्रवण किया जायेगा।

च) कार्योजित स्वयंसेवकों का किसी भी दशा में स्थानान्तरण / पारस्परिक स्थानान्तरण का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

छ) कार्योजित स्वयंसेवक उपाकालि0 में ड्यूटी के दौरान पी0आर0डी0 द्वारा निर्धारित वर्दी में रहेंगे जिसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त (वर्दी का मूल्य / धुलाई हेतु) भुगतान नहीं किया जायेगा।

ज) प्रत्येक स्वयंसेवक को प्रतिदिन रू0 650.00 मानदेय एवं रू0 15.00 अतिरिक्त मानदेय क्रमशः शासनादेश संख्या 346 / VI–4 / 2024–61(10) / 12(CPNo.-70028) दिनांक 26 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या 123 / VI–2 / 2014–8(यु0क0) / 2002 दिनांक 06 अगस्त, 2014 के अनुसार प्रतिदिन देय होगा।

झ) प्रत्येक स्वयंसेवक को प्रतिमाह दिये जाने वाले मानदेय में से रू0 10 / – कटौती कर प्रान्तीय रक्षक दल कल्याण कोष नियमावली के नियम 3(क) में उल्लेखित नियम के अनुसार कल्याण कोष में युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी द्वारा जमा किया जायेगा। युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी कटौती / जमा करने की सूचना आगामी बीजक के साथ उपाकालि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रमशः...............2

ञ) उपाकालि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 3520–नि0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु.ए. दिनांक 30.09.2019 के अनुसार (वेतन स्तर 1 से 5) के अनुसार यात्रा भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

ट) स्वयंसेवकों के भुगतान, सम्बन्धित सतर्कता इकाई के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतु अधिकृत कार्यालय से युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में कार्योजित स्वयंसेवकों को सीधे भुगतान नहीं किया जायेगा।

ठ) पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों के मानदेय/अतिरिक्त मानदेय/कटौती इत्यादि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशोधन हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश स्वतः ही लागू होंगे।

यह आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक– 5297 /अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि0/ तद्दिनांकित्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर, का0–प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि0, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. का0–पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सेल, उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. निदेशक(परियोजना/परिचालन/वित्त), उपाकालि0, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–1 एवं स्तर–2), उपाकालि0, ...।
5. महाप्रबन्धक (विधि)/कम्पनी सचिव, उपाकालि0, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि0, ...।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि0, ...।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि0, ...।
9. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), उपाकालि0, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(डॉ0 आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक(मा0सं0)